

पत्र संख्या-नोटिस एवं Assessment Module-(2016-17)/ 649/1617039

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आईटी0 अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ ::अक्टूबर 07, 2016

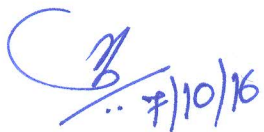
समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर  
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि आईटी0 अनुभाग के पत्र संख्या-113 दिनांक 13-05-2016, 218 दिनांक 20-06-2016 तथा परिपत्र संख्या-270 / 1617018 दिनांक 05-07-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 हेतु 50 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों की मार्किंग तथा उस व्यापारियों की सूची में से 07 Reason में मार्क करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त के क्रम में कर निर्धारण अधिकारियों के Login पर NIC द्वारा उपलब्ध करयी गयी सूची में तकनीकी त्रुटिवश ऐसे व्यापारी भी चयनित हो गये हैं जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 का फार्म-52 निर्धारित समयावधि में दाखिल है किन्तु उन्हें अधिकारियों द्वारा न तो Deemed चिन्हित किया गया है और न ही Deemed से बाहर चिन्हित किया गया है। मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-27 एवं नियमावली के नियम 45(13) के प्राविधानों के अनुसार ऐसे समस्त मामलों में दिनांक 31-03-2016 के पूर्व ही उक्त कार्यवाही की जानी थी। अतः ऐसे किसी भी मामले में कर निर्धारण नोटिस जारी न की जाये तथा ऐसे मामलों को NIC के माध्यम से स्वतः डीमड अंकित करते हुए Pendency से हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सूची में ऐसे भी व्यापारी प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि ईट भट्टा समाधान व 0.5 प्रतिशत की समाधान योजना के अन्तर्गत हैं। इन व्यापारियों पर भी यदि देय समाधान राशि के अतिरिक्त अन्य किसी कर की देयता या कर आरोपणीय नहीं है तो ऐसे व्यापारी को भी बिना नोटिस जारी किये कर निर्धारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

आप अवगत हैं कि पत्र संख्या-विधि-4(3)/वा0क0 सेवा संघ /2016-17/1687 दिनांक 27-09-2016 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण के वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश निर्गत किये गये थे। अतः कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लम्बित वादों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराये।



(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिशनर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।